विदेशी मुद्रा संबंधी गतिविधियां

सितंबर 2008

(i) आयात बिलों/दस्तावेजों की सीधी प्रप्ति-उदारीकरण

आयात बिल/दस्तावेजों की सीधे प्राप्ति को 100,000 अम. डॉ. से बढ़ाकर 300,000 अम. डॉ.कर दिया है। तदनुसार,जहाँ पर आयातक समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता से आयात बिल/दस्तावेज सीधे स्वयं प्राप्त करता है और आयात बिल 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक का नहीं है तो कतिपय शर्तों के अधीन, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को आयात के लिए विप्रेषण भेजने की अनुमति है ।

एपी (डी आइआर सीरीज़)परिपत्र सं.13,01 सितंबर, 2008

(ii) समुद्रपारीय निवेश : विवेक सम्मत बनाना

क्रियाविधि को और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से,यह निर्णय लिया गया है कि अब से विदेशी इक्विटी में निवेश के साक्ष्य के रूप में शेयर प्रमाणपत्र अथवा किसी विदेशी कंपनी में निवेश के साक्ष्य के रूप में कोई अन्य प्रलेख अथवा निवेश के साक्ष्य के रूप में कोई अन्य प्रलेख भारतीय रिजर्व बैंक में न प्रस्तुत करके प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत किए जाएं।

ए.पी.(डीआइआर सीरीज़)परिपत्र सं.14, 05 सितंबर, 2008

(iii) सेवाओं के आयात के लिए अग्रिम विप्रेषण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ऐसे मामलों के निपटान के लिए बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अपने दिशा-निर्देश निर्धारित करने के अधीन, बिना बैंक गारंटी के चालू खाते के सभी अनुमत लेनदेनों के अग्रिम विप्रेषण हेतु 100,000 अमरीकी डॉलर की सीमा को बढ़ाकर

500,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य तक करने का निर्णय लिया गया है।

एपी (डी आइआर सिरीज़)परिपत्र सं.15, 08 सितंबर, 2008

(iv) बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)

समीक्षा के आधार पर, बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति को निम्नवत् उदारीकृत किया गया है :

(i) संरचनात्मक क्षेत्र के उधारकर्ताओं को, अनुमत मार्ग के तहत रुपयों में व्यय हेतु 100 मिलियन अमरीकी डालर तक के विपरीत, प्रति वित्तीय वर्ष 500 मिलियन अमरीकी डालर तक के ईसीबी की अनुमति प्रदान की गई है ।100 मिलियन अमरीकी डालर से ऊपर के बाह्य वाणिज्यिक उधारों की परिपक्वता कम से कम 7 वर्ष होनी चाहिये ।

(ii) अंतराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में ऋण फैलाव को और अधिक विस्तार देने के उद्देश्य से बाह्य वाणिज्यिक उधारों को निम्नवत् संशोधित किया गया है:

औसतन परिपक्वता अवधि	6 माह लंदन-अंतर बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) से ऊपर के लिए सभी लागत सीमाएं	
	वर्तमान	पुनरीक्षित
तीन वर्ष और पांच वर्ष तक	200 आधार बिंदु	200 आधार बिंदु
पांच वर्षों से अधिक और सात वर्षों तक	350 आधार बिंदु	350 आधार बिंदु
सात वर्षों से अधिक	350 आधार बिंदु	450 आधार बिंदु

ए.पी.(डीआइआर सीरीज)परिपत्र सं.16, 22 सितंबर,2008

(v) विदेशी मुद्रा विनिमय योग्य बांड(एफसीईबी)योजना, 2008 का निर्गम

एफसीईबी योजना, 2008 सितंबर 23, 2008 के बाद परिचालित की गई है। विदेशी मुद्रा विनिमय योग्य बांड से तात्पर्य किसी बांड को विदेशी मुद्रा में अभिव्यक्त करना है, जिसका मूल और ब्याज विदेशी मुद्रा में देय होगा, जिसे निर्गमकर्ता कंपनी द्वारा जारी किया जाता है और जिसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत के बाहर का निवासी है, किसी भी रूप में, या तो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से अथवा ऋण लिखतों से संबंद्ध किसी इक्विटी से संबंधित वारंट के आधार पर विदेशी मुद्रा में और दूसरी कंपनी (प्रस्तावित कंपनी) के इक्विटी शेयरों में विनिमय योग्य है, अंशदान किया जाता है। एफसीईबी को किसी मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित किया जाता है। इस योजना को पूरा ब्योरा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी आधिसूचना में दिया गया है देखें 15 जनवरी 2008 का जीएसआर.89(ई)।

[ए.पी.(डीआइआर सीरीज)परिपत्र सं.17, 23 सितंबर,2008]